संख्या-88/2020/2864/71-1-2020-जी-202/2016टी0सी0-3

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 11 जुलाई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में स्थापित चिकित्सकीय उपकरणों के अनुरक्षण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/145, दिनॉक 02-07-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में व्याप्त कोविड-19 महामारी जैसी विषम परिस्थिति के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु "अनुरक्षण" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2400.00 लाख के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेजे, मेरठ में गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में चिकित्सकीय उपकरणों के अनुरक्षण के सापेक्ष लम्बित रू0 50,74,420.68 (रू0 पचास लाख चौहत्तर हजार चार सौ बीस एवं अड़सठ मात्र) के भुगतान व वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में चिकित्सकीय उपकरणों के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय हेतु रू0 99,25,579.32 (रू0 निन्याबे लाख पच्चीस हजार पॉच सौ उन्यासी एवं बत्तीस पैसे मात्र) अर्थात् कुल रू0 1,50,00,000/- (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है।

2- रोगी हित में उपकरणों का सुचारू रूप से कार्यशील रहना नितान्त आवश्यक है, इसलिये ए0एम0सी0 एवं सी0एम0सी0 का कॉन्ट्रैक्ट सुसंगत नियमों/शासनादेशों एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र फर्म से करते हुये समय से बेहतर सेवायें प्राप्त करने हेतु अनुबन्ध पत्र में उपकरणों की यथावश्यकता ए0एम0सी0 व सी0एम0सी0 कराने की सभी शर्ते यथा भुगतान की शर्ते, समय से मरम्मत कार्य कराया जाना एवं आकस्मिकता पर तत्काल उपकरण ठीक कराने सहित Penalty Clause (जुर्माना खण्ड) आदि का उल्लेख विशेष सावधानी बरतते हुये किया जाये। रोगी हित में उपकरणों की निरन्तर क्रियाशीलता एवं संबंधित बजट का समय से ऑडिट कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का ही होगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय -समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तथा नियमानुसार औचारिकताएं पूर्ण कराकर कार्य कराया जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

6- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- 88/2020/2864(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।